न्यायालय :–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 15/2020
प्रकरण दर्ज तिथि :– 04.03.2020

वादीगण

1. श्रीमति मथरा पत्नि हाराम
2. श्री रसुल पुत्र देवा
3. मेमा पुत्र देवा जातियान मेहरात निवासीगण ग्राम पोस्ट अमरपुरा तह. रायपुर जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री अहमद पुत्र सुल्तान जाति मेहरात निवासी पोस्ट अमरपुरा तह. रायपुर
2. तहसीलदार रायपुर (पाली)
3. उपपंजीयक कार्यालय रायपुर पाली
4. जिला कलेक्टर पाली

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री नरेन्द्र तुनगरिया अधिवक्ता वादीगण
2 श्री फिरोज खांन/चन्द्रदीपसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 14.03.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र तुनगरिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक सेन्दडा के खसरा नबंर 369 रकबा 0.2277 हैक्टयर, ख.स. 370 रकबा 0.2389 हैक्टयर, ख.स. 371 रकबा 0.2592 हैक्टयर उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 चले आ रहे है। तथा उपरोक्त आराजीयात भी राजस्व अभिलेखें में वादीगण एंवप्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित चली आ रही हैं उपरोक्त तथ्य राजसव अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 एंव अन्य राजस्व अभिलेखों से स्पष्टतया प्रमाणित है। उपरोक्त आराजीयात में राजस्व अभिलेखों में अंकितानुसार पक्षकारान का हक हिस्सा विद्यमान चला आ रहा हैं वादीगण भी अपने उपरोक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजीयात में संयुक्त रूप से काबिज काष्त चले आ रहे हैं तथा वादीगण का भी उपरोक्त समस्त आराजीयात में संयुक्त रूप से हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त, हित अधिकार स्वत्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग अनवरत रूपसे प्रतिवादी संख्या 1 सहित सभी की पूर्ण एंव पर्याप्त जानकारी में चला आ रहा है। वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उसके, परिवारजन, रिष्तेदारान, दोस्त चौकर चाकर एजेन्ट मुखत्यार, मजदुरी, मिस्त्री हाली असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के हक हिस्से में ना तो आवे, ना ही उसमें चले आ रहे हैं वादीगण के हक हिस्से, कब्जे काष्त उपयोग उपभोग आदि में कोई दखलन्दाजी उत्पन्न करे ना ही उसमें किसी तरह का कोई दखल व / या बाधा उत्पन्न करे, ना ही उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करें, ना कब्जा करें, ना ही वादीगण को उक्त भूमियों से अथवा उसके किसी भाग से बेदखल करने का प्रयास करें, ना ही बेदखल करें, ना ही कब्जा करने/कराने का प्रयास करें, ना ही उसमें वादीगण को फसल काश्त करने से अथवा फसल काटने/प्राप्त करने से रोके।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

ना ही उसमें कोई तोड़फोड़, तरमीम तब्दील, परिवर्तन परिवर्धन, निर्माण रद्दोबदल, कारतामीरात आदि ही करें, ना ही उसे किसी तरह से क्षतिग्रस्त करें, ना ही उसमें कोई नुकसान पहंचावें, ना ही उक्त भूमियों अथवा उनके किसी भाग को बिना विभाजन कराये किसी अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास करें, ना ही बैचान करें, ना ही बैचान बाबत् किसी तरह का कोई हस्तांतरण बाबत् विलेख निष्पादित करें, ना ही उसे पंजिकृत करावें, ना ही किसी अन्य को उक्त भूमियों में काबिज करवाने का प्रयास करें, ना ही किी अन्य के नाम कोई नामान्तकरण करवावें तथा ऐसा कोई कार्य व /या कृत्य नही करें कि जिससे वादीगण द्वारा उक्त भूमियों में किये जा रहे उपयोग उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, स्वत्व आदि में कोई बाधा व/या अड़चन व /या अवरोध उत्पन्न होते हो। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं अथवा मुखत्यार आम अथवा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबध में बिना विभाजन कराये किसी तरह का एंव किसी भी आषय का कोई हस्तांतरण बाबत् विलेख अथवा कोई नामान्तकरण आवेदन पेष किये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष मे ना तो कोई विलेख पंजीयन करें, ना ही पंजीयन संबधी कोई कार्यवाही ही करें, ना ही किसी अन्य के हक में कोई नामान्तकरण ही करें।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री फिरोज खांन/चन्द्रदीपसिंह भाटी द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त एंव रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स करने की प्रार्थना करते है। वकुलाय वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस सुनी। वकुलाय माफिक रेकर्ड एंव मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के आदेश तहसीलदार रायपुर को दिये गये हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2021/2769 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (है.)	किश्म	लगान रू
1	मथरा पत्नि हासम कौम मेहरात सा. देह खातेदार	371	0.0777	बा. अ	0.37
		370	0.2389	बा. अ	1.13
		369/2	0.0463	चा प्र	1.10
	कुल	03	0.3629	—	2.60
2	अहमद खां पुत्र सुल्तान खां कौम मेहरात सा. देह खातेदार	371/1	0.1815	बा. अ.	0.86
	कुल	01	0.1815	—	0.86
3	नीर मोहम्मद पुत्र सुल्तान कौम मेहरात सा. देह खातेदार	369/1	0.0907	चा. प्र.	2.15
	कुल	01	0.0907	—	2.15

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

4	रसूल पुत्र देवा कौम मेहरात सा. देह खातेदार	369	0.0907	चा.प्र.	2.15
	कुल	01	0.0907	–	2.15

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी एवं प्रतिवादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक रोन्दडा के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (है.)	किस्म	लगान रु
1	मथरा पत्नि हासम कौम मेहरात सा. देह खातेदार	371	0.0777	बा. अ	0.37
		370	0.2389	बा. अ	1.13
		369/2	0.0463	चा प्र	1.10
	कुल	03	0.3629	–	2.60
2	अहमद खां पुत्र सुल्तान खां कौम मेहरात सा. देह खातेदार	371/1	0.1815	बा. अ.	0.86
	कुल	01	0.1815	–	0.86
3	नीर मोहम्मद पुत्र सुल्तान कौम मेहरात सा. देह खातेदार	369/1	0.0907	चा. प्र.	2.15
	कुल	01	0.0907	–	2.15
4	रसूल पुत्र देवा कौम मेहरात सा. देह खातेदार	369	0.0907	चा.प्र.	2.15
	कुल	01	0.0907	–.	2.15

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस

वादी
1. श्रीमति मथरा पत्नि हासम
2. श्री रसुल पुत्र देवा
3. मेमा पुत्र देवा जातियान मेहरात निवासीगण ग्राम पोस्ट अमरपुरा तह. रायपुर जिला पाली

प्रतिवादी.
1. श्री अहमद पुत्र सुल्तान जाति मेहरात निवासी पोस्ट अमरपुरा तह. रायपुर
2. तहसीलदार रायपुर (पाली)
3. उपपंजीयक कार्यालय रायपुर पाली
4. जिला कलेक्टर पाली

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद 15/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र तुनगरिया वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री चन्द्रदीप सिंह भाटी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि सरहद मौजा अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक सेन्दडा का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (है.)	किश्म	लगान रू
1	मथरा पत्नि हासम कौम मेहरात सा. देह खातेदार	371	0.0777	बा. अ	0.37
		370	0.2389	बा. अ	1.13
		369/2	0.0463	चा प्र	1.10
	कुल	03	0.3629	–	2.60
2	अहमद खां पुत्र सुल्तान खां कौम मेहरात सा. देह खातेदार	371/1	0.1815	बा. अ.	0.86
	कुल	01	0.1815	–	0.86
3	नीर मोहम्मद पुत्र सुल्तान कौम मेहरात सा. देह खातेदार	369/1	0.0907	चा. प्र.	2.15
	कुल	01	0.0907	–	2.15
4	रसूल पुत्र देवा कौम मेहरात सा. देह खातेदार	369	0.0907	चा.प्र.	2.15
	कुल	01	0.0907	–	2.15

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

नीज...................... ....मुवलिक.............. ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीरा रादी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बरिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.03.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुदई	रूपया	पै.	मुदयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा —	02	00	स्टाम्प वकालतनामा —	01	00
स्टाम्प वकालतनामा —	26	00	स्टाम्प हाजरी —		
स्टाम्प वजह सबूत —	00	00	मेहनताना वकील पर —		
मेहनताना वकील —			खर्चा गवाहान —		
खर्चा गवाहान —			फीस कमिश्नर —		
फीस कमिश्नर —			बाबत इजराय हुक्मनामा —		
बाबत इजराय हुक्मनामा —			मुतफरिक —	00	00
मुतफरिक —	06	00	मीजान	01	00
मीजान	34	00			

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

Scanned with CamScanner